अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 202 प्रश्न सं. [क्र. 202] **परिशिष्ट - अ**

साइबर तहसील की परिकल्पना पेपरलेस, फेसलेस और ऑनलाइन पद्धति से नामांतरण और भू-अभिलेख अद्यतन करने के लिए की गयी है। साइबर तहसील मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 13-क, धारा 19(4) (5) तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम 2022 के प्रावधान है। साइबर तहसील का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा आदेश अनुसार प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण के वह मामले जो राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 2-5/2022/सात 7 दिनांक 27 मई 2022 द्वारा आदेशित किए गये हैं. का निराकरण किया जा रहा है। साइबर तहसील 4 अलग-अलग प्लेटफार्मों यथा संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, SAARA पोर्टल और RCMS पोर्टल से Integration किया गया है जो रेवेन्यू के मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संचालित है।

जिसके अंतर्गत- रजिस्ट्रार कार्यालय में विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) निष्पादन के दौरान आवेदक को आवश्यक प्रकिया शुल्क एवं निर्धारित प्ररूपों में सामान्य जानकारी दी जाती है।

ऐसे पंजीयन जिसमें संपूर्ण खसरा नंबर या संपूर्ण प्लॉट समाहित है, और किसी भी खतरा या प्लोट का कोई विभाजन नहीं है, के पंजीकृत विक्रय विलेख (रजिस्ट्री) का विवरण स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से RCMS Portal पर साइबर तहसील को भेज दिया जाता है।

साइबर तहसीलदार पंजीकृत दस्तावेज की राजस्य भू-अभिलेख से मिलान कर क्रेता, विक्रेता और सम्बंधित ग्राम के सभी निवासियों को SMS के माध्यम से नोटिस जारी करता है, इस नोटिस में आपति के लिए लिंक भी होता है। साथ ही एक सार्वजनिक इश्तहार तहसील के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा होता है। एक ऑनलाइन मेमो पटवारी प्रतिवेदन के लिए भी जारी होता है।

10 दिवस में कोई आपति प्राप्त नहीं होने पर और पटवारी के मेमो में भी कोई आपति नहीं होने पर साइबर तहसीलदार द्वारा द्वारा प्रकरण में नामंतरण आदेश पारित कर अभिलेखों को अद्यतन कर दिया जाता है। निराकरण/आदेश पारित किए जाने पर संबंधित को SMS माध्यम से सूचना दी जाती है और E-Mail के माध्यम से पारित आदेश की सत्यापित (Certified Copy) भेजी जाती है।

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
राजस्व विभाग शाखा-5
मंत्रालय, भोपाल